फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

प्रार्थी :- मनोहरीदेवी पत्नि हेमराज वगैरह **बनाम** :-अप्रार्थी :- हेमराज पुत्र जगनाथ वगैरह

किस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र मु.नं. 13 /सन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
09.02.2021	वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा लितरीया पटवार हल्का– काणेचा में कृषि भूमि खसरा नंबर 32/1 रकबा 06–00 बीघा, ख.नं. 24 रकबा 03–18 बीघा, ख.नं. 31 रकबा 06–17 बीघा केल रकबा 16–15 बीघा आयी हुई हैं। उपरोक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण एवं अप्राथी सं. 01 से 05 की पैतृक पुश्तेनी कब्जा काश्त की हैं। अप्रार्थी सं. 01 हेमराज अप्रार्थी सं. 02 का इकलरैता पुत्र हैं। प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 01 की पत्नि व बच्चे हैं। प्रार्थीगण पिछले 10 वर्षो से अपने पति व पिता के साथ ग्राम लितरीया में रह रह रहे हैं लेकिन अप्रार्थी सं 01 शराबखोर लड़ाकू प्रवृति का व्यक्ति हैं। प्रार्थीगण के साथ मारपीट करके आज से दो माह पूर्व उनके पीहर जबरदस्ती छोड़कर आ गया हैं। अप्रार्थी सं. 01 बिना तलाक दिये ही दूसरी शादी कर उसके साथ रह रहा हैं। प्रार्थीगण को जमीन व मकान से बेदखल करने पर आमदा हैं। उक्त आराजी का बिना बंटवाड़ा करवाये ही प्राथ्रीया के हिस्से की जमीन को अप्रार्थी सं. 03 को चाईना क्ले निकालने हेतु सुपुर्द कर दी हैं। अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर अवैध खनन कर रहे रहे हैं। उक्त आराजी को बैचान बक्सीस रहन करने पर आमदा हैं, यदि बैखन रहन बक्सीस कर देते है तो प्रार्थीगण अपने हक अधिकार से वंचित रह जयेगें। प्रा. पत्र में वर्णित आराजी का बैचान रहन हस्तान्तरण बक्सीस आदि नही करने व अवैध खनन आदिन नही करने व अकृषि कार्य नही करने हेतु अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाकर पाबन्द किये जाने की ईस्तदुआं की हैं। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। बहस वकील प्रार्थी बाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में हस्ब प्रार्थना पत्र आज्ञा पारित किये जाने की ईश्तदुआं की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। अतः आगामी तारीख पेशी तक वादग्रस्त आराजी का रहन, बैचान, हस्तान्तरण, बक्सीस न करे, एवं अवैध खनन व अन्य अकृषि कार्य नही करने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती हैं कि सरहद मौजा लितरीया पटवार हल्का– काणेचा में कृषि भूमि खसरा नंबर 32/1 रकबा 06–00 बीघा, ख.नं. 24 रकबा 03–18 बीघा, ख.नं. 31 रकबा 06–17 बीघा केल रकबा 16–15 बीघा आयी हुई हैं। आगामी तारीख पेशी तक वादग्रस्त आराजी का रहन, बैचान, हस्तान्तरण, बक्सीस न करे, एवं अवैध खनन व अन्य अकृषि कार्य नही करने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना में तलबाना / नोटिसेज तीन दिवस में पेश करें। तलबाना पेश होने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिसेज हो कि वह वजह जाहिर करें कि क्यों नहीं उक्त आदेश को वाद निर्णय तक पुख्ता किया जावें। पत्रावली आयन्दा दिनांक 17.03.2021 वास्ते जबाब प्रा0प0 पेश हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)	123 12/2/21